सर्वोच्च प्राथमिकता

परिपत्र संख्याः डीजी– 41 /2018

ओ0पी0 सिंह
आई0पी0एस0

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
1–तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः लखनऊः जुलाई 26, 2018

विषयः भीड़ द्वारा कारित हिंसा एवं हत्या किये जाने की घटनाओं (**Incidents of violence and lynching by mobs**) के रोकथाम के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

आप अवगत हैं कि भीड़ के द्वारा कारित हिंसा एवं हत्या की घटनाऐं जघन्य अपराध हैं। अतिरिक्त सतर्कता एवं मिथ्या अवधारणाओं के आधार पर व्यक्तियों के किसी समूह अथवा भीड़ द्वारा कानून का स्वयं पालन कराये जाने के नाम पर (Vigilantism) किसी व्यक्ति के विरूद्ध हिंसात्मक कार्यवाही करना विधि के अन्तर्गत पूर्णतया अक्षम्य एवं दण्डनीय अपराध है। इस प्रकार की प्रत्येक घटना एवं ऐसी किसी भी घटना को उकसाने वाली दुष्प्रवृत्ति को रोकना सभी कानून प्रवर्तन अभिकरणों (Law Enforcement Agencies) का प्रमुख कर्तव्य है।

अतिसतर्कता (Vigilantism) प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों/संगठनों की अवैधानिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में **इस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी–आठ–94(21)2017 दिनांक 02.05.2017** (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं, जिसका सम्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने **रिट पिटिशन (सिविल) सं0 754/2016 तहसीन एस0 पूनावाला बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में अपने निर्णय दिनांक 17.07.2018** में भीड़ द्वारा कारित हिंसा/हत्या के रोकथाम एवं ऐसी घटनाओं की विवेचनाओं के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत करते हुये उनके प्रभावी अनुपालन कराये जाने हेतु निर्देश दिये हैं। तदनुक्रम में **गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या 11034/54/2018/IS.IV दिनांक 23.07.2018** (छायाप्रति संलग्न) के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। इन निर्देशों के अनुक्रम में भीड़ द्वारा कारित हिंसा एवं हत्या किये जाने के प्रभावी रोकथाम एवं कार्यवाही के निमित्त निम्न कार्यवाहियॉ तत्काल अपेक्षित हैं –

1. प्रत्येक जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को भीड़ द्वारा कारित हिंसा/हत्या किये जाने की घटनाओं को रोकने हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है। नोडल अधिकारी की सहायता के लिये प्रत्येक जनपद में पुलिस उपाधीक्षक स्तर के एक अधिकारी होंगे, जो भीड़ द्वारा कारित हिंसा/हत्या किये जाने की घटनाओं को रोकने के लिये प्रभावी कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।
2. नोडल अधिकारी द्वारा एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जायेगा, जो ऐसे व्यक्तियों के विषय में आसूचना एकत्र करेगा, जिनके बारे में ऐसी सम्भाव्यता हो कि वे इस प्रकार की घटनाऐं कारित करने वाले हैं अथवा ऐसी घटनाओं को कारित किये जाने हेतु उकसाने वाले भाषण (Hate Speech) तथा अफवाहों/भ्रामक सूचनाओं के प्रचार–प्रसार में संलिप्त हैं।

Scanned by CamScanner

3. अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, उ0प्र0 गत 05 वर्षों में प्रदेश में भीड़ द्वारा कारित हिंसा/हत्या की घटनाओं के आधार पर जनपदों, तहसीलों, गांवों एवं मोहल्लों की संवेदनशीलता का आंकलन कर उन्हे श्रेणीबद्व कर आख्या उपलब्ध करायेंगे। **ऐसे संवेदनशील स्थानों के चिन्हीकरण का कार्य मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 17.07.2018 से 03 सप्ताह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाये।**

4. इसी प्रकार नोडल अधिकारी द्वारा जनपद में ऐसे गांवों, कस्बो, मजरों व मोहल्लो को चिन्हित कराया जाये, जहां विगत 05 वर्षों में भीड़ के द्वारा हिंसा एवं हत्या किये जाने की घटनाऐं कारित हुई हों। **ऐसे संवेदनशील स्थानों के चिन्हीकरण का कार्य मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय दिनांक 17.07.2018 से 03 सप्ताह के अन्दर पूर्ण कर लिया जाये।** इस अवधि में घटित इस प्रकार की घटनाओं का थानावार एक समान प्रारूप (Uniform format) में अभिलेखीकरण किया जाये।

5. उपरोक्त चिन्हित स्थान, जिस थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आते हों, उन स्थानों की अधिकारिता वाले थानों के थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक को अपने क्षेत्र में घटित होने वाली भीड़ द्वारा हिंसा की किसी भी घटना के सम्बन्ध में अतिरिक्त रूप में सजग रहने हेतु निर्देशित किया जाये।

6. नोडल अधिकारी प्रत्येक माह सभी थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक एवं स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों के साथ नियमित मासिक गोष्ठी कर अतिसतर्कता (Vigilantism), भीड़ के द्वारा हिंसा/हत्या से सम्बन्धित प्रवृत्तियां कहां–कहां विद्यमान है, को चिन्हित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। सोशल मीडिया प्लेटफार्म के विभिन्न आयामों के द्वारा इस प्रकार की आपत्तिजनक सूचनायें प्रसारित करने तथा ऐसी प्रवृत्तियों को उत्तेजित करने हेतु अन्य साधनों की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।

7. नोडल अधिकारी इस प्रकार की घटनाओं में लक्षित (Targeted) पीड़ित समुदाय अथवा वर्ग के विरूद्ध अमैत्रीपूर्ण वातावरण को समाप्त करने हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

8. सभी पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि द0प्र0सं0 की धारा 129 के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग कर ऐसी भीड़ को तितर–बितर कर दें, जो उसके अभिमत के अनुसार हिंसा कारित करने वाली हो अथवा अतिसतर्कतावाद के कथित आवरण में हत्या कारित करने वाली हो। इस सम्बन्ध में संगत मजिस्ट्रेटों से प्रभावी समन्वय रखा जाये।

9. विगत में जहां इस तरह की घटनायें हुई हो, वहां प्रभावी पेट्रोलिंग भी की जाये। अभिसूचना तंत्र को विकसित किया जाये तथा मुख्यालय स्तर से प्रेषित आसूचनाओं पर त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

10. रेडियो, दूरदर्शन (Cable TV), मीडिया के विभिन्न श्रोतों के माध्यम से इस तथ्य का व्यापक स्तर पर प्रचार–प्रसार एवं जागरूकता अभियान चलाया जाये कि भीड़ के द्वारा कारित हिंसा/हत्या में संलिप्त दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विधि के अनुसार कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

Scanned by CamScanner

11. प्रदेश के सभी कानून प्रवर्तन अभिकरण (Law Enforcement Agencies) एवं अभिसूचना विभाग सोशल मीडिया प्लेटफार्म की सतत निगरानी करेंगे तथा Information Technology Act एवं अन्य सम्बन्धित कानूनों में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ऐसे अनुत्तरदायी व आपत्तिजनक संदेशों, वीडियो एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उपस्थित ऐसी सामग्रियों के प्रचार–प्रसार को समाप्त तथा रोकने हेतु कार्यवाही करेंगे, जिससे भीड़ द्वारा हिंसा कारित किये जाने/हत्या को उकसाने वाली प्रवृत्ति का दुष्प्रेरण होता हो।

12. वाट्सएप (Whatsapp) पर अफवाहों को रोकने के लिये **थाना स्तर पर डिजिटल वालेन्टियर्स बनाने हेतु डीजी परिपत्र संख्या 38/2018 दिनांक 13.07.2018** के द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं। भीड़ के द्वारा हिंसा/हत्या की घटनाओं तथा इस प्रकार की घटनाओं को दुष्प्रेरित करने वाले अनुत्तरदायी व आपत्तिजनक संदेशों, वीडियो एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर उपस्थित ऐसी सामग्रियों को रोकने के लिये भी डिजिटल वालेन्टियर्स का सक्रिय सहयोग अवश्य लिया जाये।

13. ऐसे व्यक्ति, जो भीड़ के द्वारा हिंसा/हत्या को बढ़ावा देने वाले अनुत्तरदायी एवं आपत्तिजनक संदेशों तथा वीडियो को प्रचारित प्रसारित करते हों, के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 153ए के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जाये।

14. उपरोक्त निरोधात्मक उपायों के अपनाये जाने के बावजूद यदि किसी थानाक्षेत्र के अन्तर्गत भीड़ के द्वारा हिंसा या किसी व्यक्ति की हत्या किये जाने की सूचना प्राप्त होती है तो सम्बन्धित थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक तत्काल बिना किसी विलम्ब के भा0द0वि0 व अन्य सम्बन्धित अधिनियमों की सुसंगत धाराओं के अनुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

15. जिस थानाक्षेत्र में भीड़ के द्वारा हिंसा या किसी व्यक्ति की हत्या किये जाने से सम्बन्धित अभियोग पंजीकृत हुआ हो तो उस थाने के थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक का दायित्व होगा कि वह तत्काल अपने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक (Nodal Officer) को इस आशय की सूचना दें।

16. नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि अपराध का पंजीकरण (FIR) तत्काल हो, सभी आवश्यक विधिक कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित हों तथा पीड़ित व उसके परिवार के सदस्यों का भविष्य में कोई उत्पीड़न न हो।

17. नोडल अधिकारी द्वारा भीड़ के द्वारा की गयी हिंसा/हत्या से पीड़ित परिवार के सदस्यों को **उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना–2014 (संशोधन दि0 07.06.2016)** के अन्तर्गत अनुमन्य आर्थिक क्षतिपूर्ति आदि दिलाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये। इस सम्बन्ध में **डीजी परिपत्र सं0 08/94(12)/2018 दिनांक 13.07.2018** का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

18. नोडल अधिकारी ऐसी घटनाओं से सम्बन्धित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

Scanned by CamScanner

19. नोडल अधिकारी इस प्रकार की घटनाओं की विवेचना का व्यक्तिगत पर्यवेक्षण करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि इन अभियोगों की विवेचना प्रभावी ढंग से हो एवं निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत इन अभियोगों में आरोप पत्र मा0 न्यायालय को प्रेषित किया जाये।

20. नोडल अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि अभियोजन शाखा इन प्रकरणों के विचारण में समुचित भूमिका का निर्वहन करे, ताकि दोषीजनों को शीघ्र सजा सुनिश्चित हो सके।

21. अधोहस्ताक्षरी एवं प्रमुख सचिव, गृह द्वारा नियमित रूप से नोडल अधिकारी एवं अभिसूचना विभाग के अधिकारियों के साथ एक त्रैमासिक समीक्षा बैठक की जायेगी। यदि अन्तर्जनपदीय समन्वय में कोई कठिनाई आ रही हो तो सम्बन्धित जनपद के नोडल अधिकारी तत्काल अपने परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं जोनल अपर पुलिस महानिदेशक के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे ताकि भीड़ की हिंसा/हत्या से सम्बन्धी अपराध को रोकने हेतु राज्य स्तरीय कार्ययोजना बनाकर उसका सफल क्रियान्वयन कराया जाये।

22. भीड़ द्वारा हिंसा/हत्या की घटनाओं को रोकने, ऐसे प्रकरणों की विवेचनाओं व मा0 न्यायालय में ऐसे अभियोगों के त्वरित विचारण (Trial) को सुगम बनाने में यदि किसी पुलिस अधिकारी/जिला प्रशासन के किसी अधिकारी द्वारा उपरोक्त निर्देशों का सम्यक अनुपालन नहीं किया जाता है तो ऐसे अधिकारी के विरूद्ध उसके द्वारा जानबूझकर लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में मत अवधारित किया जायेगा। ऐसे अधिकारी के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी, जो सुसंगत सेवा नियमों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही तक ही सीमित नहीं होगी। इस सम्बन्ध में संस्थित विभागीय कार्यवाही की तार्किक परिणति 06 माह के अन्दर सक्षम अधिकारी के स्तर से अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।

अतः आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करें, जिससे इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम दृढ़ता से की जा सके ताकि प्रदेश की कानून–व्यवस्था प्रभावित न होने पाये।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

26.7.18

(ओ0पी0 सिंह)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद (नाम से)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
4- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ0प्र0।

Scanned by CamScanner

2876

(1520)

Immediate

No. 11034/54/2018-IS.IV
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(INTERNAL SECURITY – I DIVISION)
*****

North Block, New Delhi
Dated, the 23rd July, 2018

To

(i) The Chief Secretaries of all States/UT's
(ii) Directors General of Police of all States/UT's

Subject: Incidents of violence and lynching by mobs – regarding

Sir/Madam,

Incidents of violence and lynching by mobs in some parts of the country, fuelled by various kinds of rumours and unverified news such as of child-lifting, theft, cattle smuggling, etc. are a matter of serious concern. Such instances of persons taking the law in their own hands run against the basic tenets of the rule of law.

In this context, this Ministry vide letter of even number dated 04.07.2018 had issued an advisory to all States/UTs for adopting effective measures to prevent and curb such incidents. Earlier, an advisory was issued on 09.08.2016 on disturbances by miscreants in the name of protection of cow.

3. As per the Constitutional scheme, 'Police' and 'Public Order' are State subjects. State Governments and UT Administrations are responsible for controlling crime, maintaining law and order, and protecting the life and property of citizens. Accordingly, effective measures should be taken by State Governments and UT Administrations to prevent violence and lynching by mobs and to afford equal protection of the law to all citizens irrespective of caste, creed or religion. Action should be taken as per law against perpetrators of violence.

5. The Hon'ble Supreme Court has also taken serious note of the said concern and has *inter alia* issued several directions on 17.07.2018 in Writ Petition (Civil) No. 754 of 2016 to State Governments to take preventive, remedial and punitive measures to curb the incidents of mob lynching in the country. A copy of the said order is available at: www.supremecourtofindia.nic.in.

4. The key directions of the Hon'ble Apex Court to the State Governments in this regard are summarized at *Annexure*.

URGENT
Ad SP L/O

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश
24/7/18

पर पुलिस महानिदेशक
कानून एवं व्यवस्था
उ०प्र०, लखनऊ
25-7-18

पुलिस उप महानिरीक्षक
कानून एवं व्यवस्था

1255/24

5. All State Governments / UT Administrations and their law enforcement agencies are requested to implement the aforesaid directions of the Hon'ble Apex Court in letter and spirit.

6. A detailed report on the action taken in the matter may please be sent to this Ministry at the earliest.

Encl: Annexure

Yours faithfully,

23/07/18

(Gopi Chandra Chhawaniya)
Director (Internal Security-I)

Copy to:

1) PS to HM / MoS (H) / MoS (R)
2) PPS to HS / SS (IS) / AS (CS)

Scanned by CamScanner

Annexure

Key directions of the Hon'ble Supreme Court to the State Governments on 17.07.2018 in Writ Petition (Civil) No. 754 of 2016

(i) The State Governments shall designate, a senior police officer, not below the rank of Superintendent of Police, as Nodal Officer in each district. Such Nodal Officer shall be assisted by one of the DSP rank officers in the district for taking measures to prevent incidents of mob violence and lynching. They shall constitute a special task force so as to procure intelligence reports about the people who are likely to commit such crimes or who are involved in spreading hate speeches, provocative statements and fake news.

(ii) The State Governments shall forthwith identify Districts, Sub-Divisions and/or Villages where instances of lynching and mob violence have been reported in the recent past, say, in the last five years. The process of identification should be done within a period of three weeks from the date of Supreme Court judgment i.e. 17th July, 2018.

(iii) The Secretary, Home Department of the concerned States shall issue directives/advisories to the Nodal Officers of the concerned districts for ensuring that the Officer In-charge of the Police Stations of the identified areas are extra cautious if any instance of mob violence within their jurisdiction comes to their notice.

(iv) The Nodal Officer, so designated, shall hold regular meetings (at least once a month) with the local intelligence units in the district along with all Station House Officers of the district so as to identify the existence of the tendencies of vigilantism, mob violence or lynching in the district and take steps to prohibit instances of dissemination of offensive material through different social media platforms or any other means for inciting such tendencies. The Nodal Officer shall also make efforts to eradicate hostile environment against any community or caste which is targeted in such incidents.

(v) The Director General of Police/the Secretary, Home Department of the concerned States shall take regular review meetings (at least once a quarter) with all the Nodal Officers and State Police Intelligence heads. The Nodal Officers shall bring to the notice of the DGP any inter-district co-ordination issues for devising a strategy to tackle lynching and mob violence related issues at the State level.

(vi) It shall be the duty of every police officer to cause a mob to disperse, by exercising his power under Section 129 of CrPC, which, in his opinion, has a tendency to cause violence or wreak the havoc of lynching in the disguise of vigilantism or otherwise.

Scanned by CamScanner

(vii) The Director General of Police shall issue a circular to the Superintendents of Police with regard to police patrolling in the sensitive areas keeping in view the incidents of the past and the intelligence obtained by the office of the Director General.

(viii) Wide publicity and awareness campaign should be done by the State Governments on radio and television and other media platforms including the official websites of the Home Department and Police of the States, that lynching and mob violence of any kind shall invite serious consequence under the law.

(ix) All Law Enforcement & Intelligence Agencies of the State Governments shall monitor the social media platform and shall take action under the legal provision contained in Information Technology Act and other relevant law to curb and stop dissemination of irresponsible and explosive messages, videos and other material on various social media platforms which have a tendency to incite mob violence and lynching of any kind. The police shall cause to register FIR under Section 153A of IPC and/or other relevant provisions of law against persons who disseminate irresponsible and explosive messages and videos having content which is likely to incite mob violence and lynching of any kind.

(x) Despite the preventive measures taken by the State Police, if it comes to the notice of the local police that an incident of lynching or mob violence has taken place, the jurisdictional police station shall immediately cause to lodge an FIR, without any undue delay, under the relevant provisions of IPC and/or other provisions of law.

(xi) It shall be the duty of the Station House Officer, in whose police station such FIR is registered, to forthwith intimate the Nodal Officer in the district who shall, in turn, ensure that there is no further harassment of the family members of the victim(s).

(xii) Investigation in such offences shall be personally monitored by the Nodal Officer who shall be duty bound to ensure that the investigation is carried out effectively and the charge-sheet in such cases is filed within the statutory period from the date of registration of the FIR or arrest of the accused, as the case may be. State Governments and the Nodal Officers in particular to shall ensure that the prosecuting agency strictly carries out its role in appropriate furtherance of the trial.

Scanned by CamScanner

(xiii) The State Governments shall prepare a lynching/mob violence victim compensation scheme in the light of the provisions of Section 357A of CrPC within one month from the date of the Supreme Court judgment i.e. 17th July, 2018. In the said scheme for computation of compensation, the State Governments shall give due regard to the nature of bodily injury, psychological injury and loss of earnings including loss of opportunities of employment and education and expenses incurred on account of legal and medical expenses. The said compensation scheme must also have a provision for interim relief to be paid to the victim(s) or to the next of kin of the deceased within a period of thirty days of the incident of mob violence/lynching.

(xiv) Wherever it is found that a police officer or an officer of the district administration has failed to comply with the aforesaid directions in order to prevent and/or investigate and/or facilitate expeditious trial of any crime of mob violence and lynching, the same shall be considered as an act of deliberate negligence and/or misconduct for which appropriate action must be taken against him/her and not limited to departmental action under the service rules. The departmental action shall be taken to its logical conclusion preferably within six months by the authority of the first instance.

*****

END

Scanned by CamScanner

फैक्स/ई-मेल/महत्वपूर्ण

संख्या-210 /छः-पु0-15-2016

प्रेषक,

कमल सक्सेना,
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस)अनुभाग-15 दिनॉक 14 जून, 2016

विषयः-उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 में हुये संशोधन दिनांक 07.06.2016 के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि रिट पिटिशन (क्रिमिनल) संख्या-129/2006 लक्ष्मी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2011 के अनुपालन में साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1974) की धारा-357क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 दिनांक 09.04.2014 में संशोधन करते हुए दिनांक 07.06.2016 द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में अपराध से पीड़ित व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है:-

क्र0सं0	हानि या क्षति का विवरण	क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
1	बलात्कार	रू0-3,00,000/-
2	मानसिक संताप के कारण हुई हानि या क्षति (भा0द0वि0 की धारा-325,326,333,394,429,435 एवं 436)	रू0-1,00,000/-
3	संक्षारक पदार्थ अर्थात तेजाब आदि हमले से पीड़ित	रू0-5,00,000/-
4	मृत्यु (गैर कमाने वाले सदस्य)	रू0-1,50,000/-
5	मृत्यु (कमाने वाले सदस्य)	रू0-2,00,000/-
6	मानव तस्करी से पीड़ित	रू0 2,00,000/-

Scanned by CamScanner

7	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-4,6,7,9,11 और 14 के अधीन अपराध	
	(क) प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा-4)	रू0-2,00,000/-
	(ख) गुरूत्तर प्रवेशन लैगिक हमला (धारा-6)	रू0-2,00,000/-
	(ग) लैंगिक हमला (धारा-7)	रू0-1,00,000/
	(घ) गुरूत्तर लैगिक हमला (धारा-9)	रू0-1,50,000/-
	(ड.) लैगिक उत्पीड़न (धारा-11)	रू0-1,00,000/-
	(च) अश्लील प्रयोजनों के लिये बालक का उपयोग (धारा-14)	रू0-1,00,000/-
8	जलने पर शरीर का 25% से अधिक का प्रभावित होना (तेजाब हमला के मामलों के अतिरिक्त)	रू0-2,00,000/-
9	यौन उत्पीड़न (बलात्कार के अतिरिक्त)	रू0-50,000/
10	गर्भ की क्षति	रू0-50,000/-
11	गर्भ धारण क्षमता की क्षति	रू0-1,50,000/-
12	पूर्ण विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक)	रू0-2,00,000/-
13	आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत)	रू0-1,00,000/-
14	क्रास बार्डर फाइरिंग से पीड़ित महिला- (अ) मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक)	रू0-2,00,000/
	(ब) आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत)	रू0-1,00,000/-

2. पीड़ित/पीड़िता के पास इस अधिसूचना दिनांक 07.06.2016 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता पाने के लिये विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि- ट्रॉयल कोर्ट/अपील कोर्ट द्वारा आर्थिक सहायता हेतु संबंधित प्रकरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी0एल0एस0ए0) को संदर्भित किया जाना अथवा पीड़ित/पीड़िता द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जाना और स्वयं आवेदन करना।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि उपरोक्त श्रेणियों के प्रकरण जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आने पर पीड़ित/पीड़िता को जिला शासकीय अधिवक्ता(क्रिमिनल)/ज्येष्ट अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास भेजकर आवेदन पत्र देने हेतु जो कार्यवाही की जानी है, वह आपके स्तर से ही अपेक्षित है।

Scanned by CamScanner

जैसा कि आप अवगत ही हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी0एल0एस0ए0) के अध्यक्ष जिले के जिला जज होते हैं और सीनियर जुडीशियल मजिस्ट्रेट उसके सचिव होते हैं। यह योजना पीड़ित/पीड़िता को तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है ताकि ट्रॉयल और फाइन्डिग्स समयावधि से बाधित न हों।

3. उक्त अनुसूची में उल्लिखित अपराधों से पीड़ित/पीड़िता को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु रू0-2,00,00,000/- (रूपया दो करोड़) की व्यवस्था न्याय विभाग के बजट में की गयी है, जिसका संचालन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जब किसी प्रकार का प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्णीत किया जायेगा, वह प्रकियानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निर्णीत धनराशि प्राप्त कर पीड़ित/पीड़िता के खाते में स्थानान्तरित करेगा।

4. वास्तविक रूप से उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 के अध्यावधिक संशोधन/अधिसूचना दिनांक 07.06.2016 का उद्देश्य आम आदमी को तत्काल लाभ मिलने हेतु यह आवश्यक है कि संशोधित अधिसूचना का प्रचार-प्रसार आपके नेतृत्व में स्थानीय समाचार पत्रों में किया जाय एवं आपके अधीन जिले के प्रशासनिक/पुलिस/न्यायिक/प्रोबेशन अधिकारियों के साथ होने वाली बैठकों में भी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय।

5. जिले में अपराध समीक्षा बैठकों में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय कि जनपद में कुल कितने पीड़ितों द्वारा उपरोक्त अनुसूची के अन्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन किये हैं और कितने पीड़ितों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है।

6. जिला जज के साथ होने वाली जिला स्तरीय मानीटरिंग बैठक में भी जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 यथा संशोधन दिनांक 07 जून, 2016 के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जायेगी और प्राप्त सूचनाओं को क्रास चेक किया जायेगा, ताकि किसी अन्य योजना में दोहरा लाभ न प्राप्त हो सके।

7. यह भी अवगत कराना है कि अनुसूची में उल्लिखित अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों की आर्थिक सहायता हेतु प्रदेश में दो योजनायें संचालित हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.02.2015 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली-2015 एवं गृह विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.04.2014 द्वारा जारी उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 है। (संशोधन 2016)

8. उपर्युक्त दोनों योजनाओं में अन्तर यह है कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली जारी होने की तिथि 06 फरवरी, 2015 से लागू है तथा इस योजना के अन्तर्गत केवल पीड़ित महिलाओं/लड़कियों को ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जबकि उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना 2014 यथा संशोधन दिनांक 07 जून, 2016 पूर्वगामी तिथि से प्रभावी है तथा इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं/बच्चों तथा पुरूषों को भी आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार योजना लागू होने की तिथि से पूर्व की घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को भी आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। अतः आपके द्वारा पीड़ित/पीड़िता को लाभ दिये जाने के संबंध में सम्यक् परीक्षण करा लिया जाय कि उसे उपुर्यक्त दोनों योजनाओं में से किस योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जाना उचित होगा।

-4

Scanned by CamScanner

कृपया उपरोक्त योजनाओं में से उपयुक्त योजना के तहत पीड़ित/पीड़िता को तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में समयान्तर्गत कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्न-**उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014**
का संशोधन/अधिसूचना दिनांक 07 जून, 2016
(यह uphome.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।)

भवदीय,

14.6.2016
(कमल सक्सेना)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. रजिस्ट्रार, मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया अपने स्तर से समस्त जिला शासकीय अधिवक्ता(क्रिमिनल) को सूचित करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग/समाज कल्याण विभाग/श्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
4. सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6. महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से सगरत जिलास्तरीय अभियोजन अधिकारी को सूचित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

14.6.2016
(कमल सक्सेना)
सचिव।

Scanned by CamScanner

महत्वपूर्ण/फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

संख्याः डीजी-आठ-94(21)/2017

दिनांकः लखनऊः अप्रैल मई 02 2017

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
जनपद प्रभारी, उत्तर प्रदेश।

विषयः **Vigilantism (अतिसतर्कता) प्रदर्शित करने वाले व्यक्तियों/संगठनों की अवैधानिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रायः देखने में आता है कि समाज मे कुछ Vigilantes (व्यक्ति/संगठन) गोरक्षा के नाम पर अति उत्साह के कारण कानून को अपने हाथ में ले लेते है और पुलिस को ऐसे प्रकरणों की सूचना देने के बजाय स्वयं अनधिकृत रूप से मनमानी कार्यवाही शुरू कर देते हैं। यह पूर्ण रूप से अवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके कारण कानून एवं व्यवस्था की समस्यायें उत्पन्न होती हैं। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु विशेष रूप से अवलोकनीय है-

2- **(i) गोकशी के प्रकरणों में**

गोकशी के प्रकरणों में गोरक्षक एवं ऐसे संगठनों से जुड़े कुछ लोग मौके पर पहुंच कर स्वयं कानून को हाथ में लेकर मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी व सड़क जाम आदि करके कानून एवं व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं।

(ii) दुधारू पशुओं के अवैध परिवहन के सम्बन्ध में

दुधारू पशुओं के परिवहन के सम्बन्ध में भी इस प्रकार के दृष्टांत सामने आते हैं कि गोरक्षक एवं ऐसे संगठनों से जुड़े कुछ लोग एकत्र होकर वाहन चालक से मारपीट, वाहन में तोड़फोड़ एवं आगजनी कर कानून-व्यवस्था को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

(iii) प्रेमी युगल के साथ दुर्व्यवहार

इस प्रकार की घटनायें प्रकाश में आयी है कि सार्वजनिक स्थल यथा, पार्क आदि में बैठे हुये प्रेमी युगल के साथ किसी संगठन विशेष के लोग Morality के नाम पर मारपीट व दुर्व्यवहार करते हैं और इस प्रकार कानून अपने हाथ में ले लेते हैं। यह अधिकार किसी भी व्यक्ति/संगठन को प्राप्त नहीं है।

(iv) धर्मान्तिरण के प्रकरणों में

कई बार तथाकथित धर्मान्तिरण के प्रकरणों में भी कतिपय vigilantes स्वयं अति सतर्क होकर कानून अपने हाथ में लेकर मारपीट, तोड़फोड़ एवं आगजनी जैसी

Scanned by CamScanner

अवैधानिक कार्यवाहियां करने लगते हैं, जिससे कानून एवं व्यवस्था की विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं।

(v) विशेष अवसरों पर

विशेष अवसरों यथा वैलेनटाइन-डे पर ऐसे vigilantes स्वयं कानून हाथ में लेकर विधिविरूद्ध कार्य करते हुये कानून- व्यवस्था को चुनौती देते हैं।

3- जहाँ तक दुधारू पशुओं के अवैध परिवहन का सम्बन्ध है, इस दिशा में थाना प्रभारियों को जागरूक रहने के साथ-साथ अपने अभिसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय करने की आवश्यकता है, ताकि दुधारू पशुओं का अवैध परिवहन किसी भी दशा में न होने पाये। प्रायः पशुओं के अवैध परिवहन की जानकारी थाना प्रभारी को होती है किन्तु वह उस पर प्रभावी अंकुश नहीं लगाते हैं, जिससे उनकी इस अवैध कारोबार में संलिप्तता परिलक्षित होती है। यदि पशुओं के अवैध परिवहन की जानकारी थाना प्रभारी को नहीं है तो वह थाना प्रभारी पद के लिये उपयुक्त नहीं है।

4- यह आवश्यक है कि vigilantes के सम्बन्ध में अभिसूचना तंत्र को ओर अधिक सक्रिय कर पूरी जानकारी एकत्र की जाय तथा उन्हे चिन्हित कर उनके डोजियर्स बनाये जायें। उनके द्वारा किये जाने वाले इस प्रकार के विधि विरूद्ध कार्यो से सरकार की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों/संगठनों से सम्पर्क करके उन्हें बताया जाये कि उन्हें इस प्रकार कानून को स्वयं हाथ में लेकर अवैधानिक रूप से कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पाबन्द कराया जाना उचित होगा। यदि vigilantes द्वारा कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्यवाही की जानी चाहिये।

अतः सभी से अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त निर्देशों का पालन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए इस प्रकार के vigilantes द्वारा स्वयं कानून को हाथ में लेने जैसी कार्यवाहियों पर अंकुश लगाने में अपेक्षित भूमिका का सफल निर्वहन करना सुनिश्चित करें।

(सुलखान सिंह)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, (अभिसूचना), उ0प्र0, लखनऊ।
2. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

Scanned by CamScanner